संख्या: 17/2021- 49-3002/1/2021- 3-100(9)/2012

प्रेषक:

बी0एल0 मीणा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक नवम्बर, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में यूरिया एवं फॉस्फेटिक उर्वरकों के बिलों की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या : 612/कृषि-निवेश/बी-305, दिनांक 21.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके साथ प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0, लखनऊ के पत्रांक- 1374, दिनांक 18.06.2021, पत्रांक- 2079, दिनांक 12.07.2021, पत्रांक- 2764, दिनांक 09.08.2021, पत्रांक- 3714, दिनांक 15.09.2021, पत्रांक- 2570, दिनांक 28.07.2021, पत्रांक- 3188, दिनांक 17.08.2021, पत्रांक-1991, दिनांक 08.07.2021 एवं पत्रांक- 3189, दिनांक 17.08.2021 द्वारा रासायनिक उर्वरकों के ब्याज, भण्डारण, परिवहन मद तथा अन्य सहकारी समितियों के उर्वरकों के परिवहन मद में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी बिल/ प्रस्ताव संलग्न कर उपलब्ध कराते हुए उक्त बिल की प्रतिपूर्ति कराये जाने का अनुरोध शासन से किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उर्वरक प्रीपोजिशनिंग योजनान्तर्गत रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखाशीर्षक ''2425-सहकारिता-800-अन्य व्यय-05-रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण योजना-27-सिब्सडी, की मद में ₹ 150.00 करोड़ की बजट व्यवस्था है, जिसके सापेक्ष रासायनिक उर्वरकों के ब्याज, परिवहन, भण्डारण मद तथा अन्य सहकारी समितियों के उर्वरकों के परिवहन मद में रूपये 462.81 लाख एवं वर्ष 2016-17 व 2017-18 के बकाया अवशेष भुगतान हेतु प्रथम चरण में रूपये 1672.10 लाख अर्थात् कुल धनराशि रूपये 2134.91 लाख की प्रतिपूर्ति निर्गत की जा चुकी है। प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि लगभग रूपये 128.65 करोड़ में से निम्न विवरण एवं शर्तों के अनुसार धनराशि रूपये 19,00,24,404.00 (रूपये उन्नीस करोड़ चौबीस हजार चार सौ चार मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में रासायनिक उर्वरकों के ब्याज, परिवहन, भण्डारण मद तथा अन्य सहकारी समितियों के उर्वरकों के परिवहन मद में प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृत बिलों का विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

उर्वरक व्यवसाय करने वाली समिति का नाम	माह का नाम	पत्र संख्या व दिनाकं	ब्याज मद	भण्डारण शुल्क	परिवहन मद		योग
					सामान्य योजना	प्रीपोजीशनिंग योजना	
पीसीएफ	मार्च, 2021	2570/28.07.2021 1991 / 08.07.2021	-	1601865	3041800	1294230	5937895

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	अप्रैल, 2021	3188/17.08.2021 3189/17.08.2020	--	8178453	3688666	-	11867119
	मई, 2021	1374/18.06.2021 3188/17.08.2021 3189/17.08.2021	19149385	8134688	8546548	-	35830621
पीसीएफ	जून, 2021	2079/ 12.07.2021	--	--	--	--	30087672
	जुलाई, 2021	2764/09.08.2021	47609720			--	47609720
	अगस्त, 2021	3714/15.09.2021	44734911	--	--	--	44734911
	योग		**141581688**	**17915006**	**15277014**	**1294230**	**176067938**
जिला सहकारी विकास संघ लि0, मुजफ्फरनगर	मई, 2021	227/15.06.2021	--	--	840892	--	840892
	जून, 2021	391/27.07.2021	--	--	519483	--	519483
	जुलाई, 2021	580/11.08.2021	--	--	451798	--	451798
	अगस्त, 2021	745/06.09.2021	--	--	--	36799	36799
	योग		**--**	**--**	**1812173**	36799	**1848972**
सहकारी क्रय-विक्रय लि0, रामपुर	अप्रैल, 2021	163/16.07.2021	--	--	4694	--	4694
	मई, 2021		--	--	20370	--	20370
	जून, 2021		--	--	42369	--	42369
	योग		**--**	**--**	**67433**	**--**	**67433**
सहकारी क्रय-विक्रय लि0, शाहाबाद रामपुर	अप्रैल, 2021	163/16.07.2021	--	--	3603	--	3603
	मई, 2021		--	--	26100	--	26100
	जून, 2021		--	--	11067	--	11067
	योग		**--**	**--**	**40770**	**--**	**40770**
जिला सहकारी विकास संघ लि0, सहारनपुर	मार्च, 2021	48/19.04.2021	--	--	370922	--	370922
	अप्रैल, 2021	721/02.08.2021	--	--	567057	--	567057
	मई, 2021		--	--	1926728	--	1926728
	जून, 2021		--	--	1148175	--	1148175
	जुलाई, 2021	803/17.08.2021	--	--	1237831	--	1237831
	अगस्त, 2021	868/04.09.2021	--	--	472272	152147	624419
	योग		--	--	**5722985**	**152147**	**5875132**
जिला सह0 संघ लि0, बिजनौर	अप्रैल, 2021	610/17.08.2021	--	--	420912	--	420912
	मई, 2021		--	--	942409	--	942409
	जून, 2021		--	--	661460	--	661460
	जुलाई, 2021	759/09.09.2021			447089	--	447089

http://shasanadesh.up.gov.in

	अगस्त, 2021				166165	--	166165
	योग		**--**	**--**	**2638035**	**--**	**2638035**
जालौन, जिला सहकारी फेडरेशन लि0, उरई	जुलाई, 2021	317/06.08.2021	--	--	62873	--	62873
	अगस्त, 2020	383/07.09.2021	--	--	160624	--	160624
	योग		**--**	**--**	**223497**	**--**	**223497**
जिला सहकारी फेडरेशन लि0, बुलन्दशहर	अप्रैल, 2021	495/07.07.2021	--	--	142017	--	142017
	मई, 2021		--	--	50754		50754
	जून, 2021	749/26.08.2021	--	--	364001		364001
	जुलाई, 2021		--	--	178831		178831
	योग		--	--	**735603**		**735603**
जिला सहकारी फेडरेशन लि0, प्रयागराज	मई, 2021	1358/31.08.2021	--	--	8680	--	8680
	जून, 202		--	--	115850	--	115850
	योग		--	--	**124530**	--	**124530**
जिला सहकारी संघलि0, उन्नाव	अगस्त, 2021	589/06.09.2021	--	--	216839	--	216839
	योग		--	--	**216839**		**216839**
उ0प्र0 सहकारी जूट एवं कृषि विकास संघ लि0, लखीमपुर खीरी	मार्च, 2021	5178/06.09.2021	--	--	54075	--	54075
	अप्रैल, 2021		--	--	103568	--	103568
	मई, 2021		--	--	590443	--	590443
	जून, 2021		--	--	464914	--	464914
	जुलाई, 2021		--	--	372599	--	372599
	अगस्त, 2021		--	--	190819	--	190819
	योग		--	--	**1776418**	--	**1776418**
उ0प्र0 सहकारी जूट एवं कृषि विकास संघ लि0, सीतापुर	अप्रैल, 2021	1028/10.09.2021	--	--	7429	--	7429
	जून, 2021		--	--	27543	--	27543
	जुलाई, 2021		--	--	31820	--	31820
	अगस्त, 2021		--	--	37597	--	37597
	योग		--	--	**104389**		**104389**
उ0प्र0 सह0 जूट एवं कृषि विकास संघ लि0, पीलीभीत	मई, 2020	838/ 04.09.2021	--	--	49309	--	49309
	जून, 2020		--	--	35220	--	35220
	जुलाई, 2020		--	--	14785	--	14785

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	योग		--	--	**99314**	--	**99314**
सह0 क्र0 वि0स0लि0, आगरा	जुलाई, 2021	634/ 10.09.2021	--	--	29405	--	29405
	अगस्त, 2021		--	--	37217	--	37217
	योग		**--**	**--**	**66622**	--	**66622**
जिला सहकारी फेड0 लि0, सीतापुर	अप्रैल, 2021	990/03.09.2021	--	--	10260	--	10260
	मई, 2021		--	--	35573	--	35573
	जून, 2021		--	--	49200	--	49200
	जुलाई, 2021		--	--	25790	--	25790
	अगस्त, 2021		--	--	18089	--	18089
	योग		**--**	**--**	**138912**		--
सहकारी संस्थाओं का योग			--	--	13767520	188946	13956466
सकल योग			**141581688**	**17915006**	**29044534**	**1483176**	**190024404**

कुल धनराशि ₹ 19,00,24,404.00 (₹ उन्नीस करोड़ चौबिस हजार चार सौ चार मात्र)

3- उक्त वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :--

(1) आपूर्ति किये गये उर्वरकों की मात्रा, देय धनराशि तथा धनराशि की देयता एवं योजना के औचित्य आदि के निर्धारण का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता का होगा।

(2) विभाग द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि उर्वरकों का समय से बहुत पहले भण्डारण न किया जाय, जिससे अनावश्यक रूप से ब्याज एवं भण्डारण शुल्क की देयता निर्धारित हो।

(3) ब्याज दर की देयता न्यूनतम दरों पर निर्धारित की गयी है, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) भण्डारण शुल्क के अन्तर्गत निर्धारित की गयी देयता न्यूनतम दरों पर तथा सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार है।

(5) परिवहन मद के अन्तर्गत निर्धारित की गयी देयता सक्षम स्तर द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अनुमन्य दरों के आधार पर है।

6) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी मद (ब्याज, भण्डारण शुल्क एवं परिवहन) के भुगतान में द्विरावृत्ति/ पुनरावृत्ति न हो।

(7) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान यह सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि का व्यय योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देश/गाइडलाईन्स के अनुरूप है।

(8) वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के संचालन हेतु व्यय को बजट प्रावधान की सीमा तक सीमित रखा जायेगा।

(9) धनराशि के व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/ दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्राविधानित निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(10) आयुक्त् एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ इस शासनादेश द्वारा निर्गत की जा रही स्वीकृत धनराशि की अनुमन्यता का ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 31.12.2021 तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखाशीर्षक ''2425-सहकारिता-800-अन्य व्यय-05-रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण योजना-27-सब्सिडी '' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: यू0ओ0-ई-2-2263/दस-20212022, दिनांक 29.11.2021 में प्राप्त सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

(बी0एल0 मीणा)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 17/2021 (1)/49-3-2021-100(9)/2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
6- वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 दीपक कोहली)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।